प्रेस नोट दि0-17.09.2025 जनपद प्रतापगढ़।

थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़।

एसपी प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना मान्धाता पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए चोरी की समरसेबल पंप, अवैध तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस व घटना में प्रयुक्त चार पहिया वाहन सहित 04 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

थाना मान्धाता क्षेत्र में समरसेबल पंप चोरी प्रकरण में पुलिस ने चारपहिया वाहन सहित 05 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया।

अभियुक्त को थाना मान्धाता क्षेत्रान्तर्गत बुकनापुर मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

थाना मान्धाता क्षेत्रान्तर्गत ग्राम शोभीपुर में वादी के खेत में 03H.P का मॉडल B6 टैक्समो कम्पनी का समर सेबुल लगवाया था, उक्त समर सेबुल दिनांक 11/12-09-2025 की रात में चोरी हो गई थी। दिनांक 16/09/2025 को ज्ञात हुआ कि उसका समर सेबुल उस दिन सतीश सरोज पुत्र सुरेश सरोज, सतीश सरोज पुत्र उदयराज, अभिषेक सरोज पुत्र देवतादीन, अरुण सरोज पुत्र मायाराम व छोटे उर्फ निखिल पुत्र धर्मवीर चार पहिया गाडी न0 MH01AH7029 से मेरा समर सेबुल चुराकर उसमे रखकर लेकर चले गये थे। जिसके संबंध में थाना मान्धाता में मु0अ0सं0 118/2025 धारा 303(2) बीएनएस बनाम 05 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी मान्धाता श्री अरविन्द कुमार सिंह के नेत्तृत्व में थाना मान्धाता के उ0नि0 प्रभात मय हमराह उ0नि0 मृत्युंजय पाण्डेय, उ0नि0 हे0का अंजनी कुमार, का0 मनीष यादव, का0 शक्ति सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 118/2025 धारा 303(2) बीएनएस से संबंधित 04 अभियुक्तों, 1. सतीश सरोज पुत्र सुरेश सरोज उम्र 22 वर्ष निवासी हैसी जयचन्द थाना मान्धाता प्रतापगढ़, 2. अरुण सरोज पुत्र मायाराम उम्र करीब 19 वर्ष निवासी धरमपुर थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़, 3. सतीश सरोज पुत्र उदयराज उम्र 18 वर्षनिवासी धरमपुर थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़, 4. अभिषेक सरोज पुत्र देवतादीन सरोज उम्र 19 वर्ष निवासी धरमपुर थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ को थाना मान्धाता क्षेत्रान्तर्गत बुकनापुर मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की 01 अदद समरसेबल पंप व 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 1 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व घटना में प्रयुक्त 01 अदद चार पहिया वाहन बरामद किया गया है। बरामदगी के संबंध में उक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गई। अभियुक्तों के कब्जे से बरामद 01 अदद चार पहिया वाहन को धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. सतीश सरोज पुत्र सुरेश सरोज उम्र 22 वर्ष निवासी हैसी जयचन्द थाना मान्धाता प्रतापगढ़।
2. अरुण सरोज पुत्र मायाराम उम्र करीब 19 वर्ष निवासी धरमपुर थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ ।
3. सतीश सरोज पुत्र उदयराज उम्र 18 वर्षनिवासी धरमपुर थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ ।
4. अभिषेक सरोज पुत्र देवतादीन सरोज उम्र 19 वर्ष निवासी धरमपुर थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ ।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त सतीश सरोज उपरोक्त ने बताया कि मै, अभिषेक सरोज, सतीश सरोज, निखिल सरोज उर्फ छोटू ने मिलकर निखिल सरोज की इसी कार से जाकर ग्राम शोभीपुर में कृष्णापटेल का समरसेबुल उसके खेत से 11/12-09-2025 की रात में खोल कर चोरी कर लिया था । जिसे हम लोग छिपाकर रखे थे आज निखिल की इसी कार में रखकर बेचने के लिए बाहर ले जा रहे थे कि आचानक आप लोगों ने पकड़ लिया ।

बरामदगी-

चोरी की 01 अदद समरसेबल पंप व 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 1 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 अदद चार पहिया वाहन बरामद ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 प्रभात मय हमराह उ0नि0 मृत्युंजय पाण्डेय, उ0नि0 हे0का अंजनी कुमार, का0 मनीष यादव, का0 शक्ति सिंह थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़

एसपी प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना कुण्डा पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास से संबंधित 01 अभियुक्त को 01 लोहे की रॉड (आलाकत्ल) के साथ गिरफ्तार किया गया-

अभियुक्त को थानाक्षेत्र कुण्डा के खेमीपुर से नया पुरवा जाने वाले रोड़ पर मुर्गी फार्म के पास से गिरफ्तार किया गया है-

थाना कुण्डा क्षेत्र में जमीनी रंजिश को लेकर जय सिंह द्वारा वादिनी के पति पर लाठी-डंडा व रॉड से हमला किए जाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 15/09/2025 को सायं वादिनी के पति निवाशी नया का पुरवा शाह जमालपुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ को उसके गाँव के ही जय सिंह पुत्र राम कैलाश पटेल निवासी उपरोक्त, जो शराब के नशे में होकर पुरानी जमीनी रंजिश को लेकर गाली- गलौज करते हुये लाठी-डंडा व लोहे की राड से उसके पति पर जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया, जिससे उन्हे सिर पर गंभीर चोट आई थी । जिसके संबंध में वादिनी की तहरीर के आधार पर थानाकुण्डा में मु0अ0सं0-. 244/2025 धारा- 109 (1)/352/115(2)/351 (3) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ डॉ अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय(IPS) व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कुण्डा श्री अवन कुमार दीक्षित के नेतृत्व में उ0नि0 गोविन्द सिंह चौहान मय हमराह का0 उमाशंकर भारती, का0 लोकेश कुमार व हो0गा0 जितेन्द्र कुमार यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना कुण्डा मे पंजीकृत मु0अ0सं0-. 244/2025 धारा- 109 (1)/352/115(2)/351 (3) बीएनएस से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त जयसिंह पटेल पुत्र स्व० रामकैलाश पटेल निवासी नया पुरवा शाहजमालपुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 30 वर्ष को 01 लोहे की रॉड (आलाकत्ल) के साथ थानाक्षेत्र कुण्डा के खेमीपुर से नया पुरवा जाने वाले रोड़ पर मुर्गी फार्म के पास से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-
अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि गदाला को मैने अपने घर पर बक्शे के नीचे छिपाकर रख दिया है जिसे चलकर दे सकता हूँ। अभियुक्त की निशानदेही पर घर के अन्दर टीनशेड़ के नीचे रखे बक्शे की नीचे से निकालकर एक लोहे की रॉड दी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. जयसिंह पटेल पुत्र स्व० रामकैलाश पटेल निवासी नया पुरवा शाहजमालपुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 30 वर्ष।

पुलिस टीम-
उ0नि0 गोविन्द सिंह चौहान मय हमराह का0 उमाशंकर भारती, का0 लोकेश कुमार व हो0गा0 जितेन्द्र कुमार यादव थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त राकेश यादव गिरफ्तार

वांछित अभियुक्त पर दर्ज था अभियोग – धारा 69, 351(3), 352 बीएनएस

पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान की कार्रवाई

अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी व क्षेत्राधिकारी कुण्डा के पर्यवेक्षण में पुलिस टीम की सफलता

कुशाहिल बाजार चौराहे के पास से गिरफ्तारी, थाना मानिकपुर पुलिस की तत्परता

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 13.09.2025 को थाना मानिकपुर में वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर धारा 69, 351(3), 352 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

प्रतापगढ़।
पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के पर्यवेक्षण में थाना मानिकपुर प्रभारी निरीक्षक श्री दीप नारायण के नेतृत्व में व0उ0नि0 रामनारायण सिंह मय हमराह का0 रामचरन प्रजापति द्वारा तलाश वांछित वारण्टी, अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त राकेश यादव पुत्र राममनोहर यादव नि० अल्लौपुर बुखारी थाना मानिकपुर प्रतापगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष को थानाक्षेत्र मानिकपुर के कुशाहिल बाजार चैराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास
मु0अ0सं0 126/2019 धारा 376, 506 भादव. व 3/4 पास्को ऐक्ट थाना मानिकपुर प्रतापगढ़
मु0अ0सं0 180/2025 धारा 69, 351(3), 352 बीएनएस थाना मानिकपुर प्रतापगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
राकेश यादव पुत्र राममनोहर यादव नि० अल्लौपुर बुखारी थाना मानिकपुर प्रतापगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष

पुलिस टीम-
व0उ0नि0 रामनारायण सिंह मय हमराह का0 रामचरन प्रजापति थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़
प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्व प्रभावी कार्यवाही जारी
हत्या के प्रयास के अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्त गिरफ्तार
थाना मान्धाता क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सुमेरपुर में अभियुक्तगण के द्वारा पुरानी रंजिश में मारपीट व हत्या का प्रयास किया गया थाना मान्धाता पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को विश्वनाथगंज मान्धाता मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया

घटना का संक्षिप्त विवरण-
आरोपीगण द्वारा थाना मान्धाता क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 04.06.2025 को ग्राम सुमेरपुर में मारपीट, हत्या का प्रयास करने के प्रकरण में थाना मान्धाता में मु0अ0सं0 80/2025 धारा 191 (2)/126 (2)/109 (1)/352/115 (2)/351 (3) बीएनएस बनाम 06 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ डॉ अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर

साहनी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी मान्धाता श्री अरविन्द सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 अनूप यादव मय हमराह उ0नि0 अलंकार, का० विनोद कुमार,का0 नवनीत कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना मान्धाता मे पंजीकृत मु0अ0सं0 80/2025 धारा 191 (2)/126 (2)/109 (1)/352/115 (2)/351 (3) बीएनएस से संबंधित वांछित 02 अभियुक्तों 1. अभियुक्त मो0 राहिल पुत्र मो0 शमसाद उम्र 20 वर्ष नि0 ग्राम सुमेरपुर थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ 2. मो0 साहिल पुत्र मो0 शमसाद उम्र 21 वर्ष नि० सुमेरपुर थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र मान्धाता के विश्वनाथगंज मान्धाता मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. अभियुक्त मो0 राहिल पुत्र मो0 शमसाद उम्र 20 वर्ष नि0 ग्राम सुमेरपुर थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़
2. मो0 साहिल पुत्र मो0 शमसाद उम्र 21 वर्ष नि० सुमेरपुर थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़

पुलिस टीम-

उ0नि0 अनूप यादव मय हमराह उ0नि0 अलंकार, का० विनोद कुमार,का0 नवनीत कुमार थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।

<u>थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़</u>

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

प्रतापगढ़ पुलिस की सक्रियता : अपहरण के प्रकरण में नामजद अभियुक्त गिरफ्तार

थाना महेशगंज पुलिस की प्रभावी कार्यवाही : गंभीर अपराध में वांछित अभियुक्त दबोचा गया

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान में सफलता : अभियुक्त अनुज गौतम गिरफ्तार

अपराधियों के विरुद्ध प्रतापगढ़ पुलिस का अभियान जारी

प्रतापगढ़।

दि०- 02.09.2025 को वादी निवासी थाना महेशगंज क्षेत्रातंर्गत की प्राप्त तहरीर के आधार पर धारा 137(2), 87 बी.एन.एस. का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष महेशगंज श्री मनोज कुमार तोमर के नेतृत्व में म0उ0नि0 वन्दना वर्मा मय हमराह उ0नि0 विजेन्द्र यादव, उ0नि0 अंशू सिंह सेंगर द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की

चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियोग उपरोक्त से सम्बन्धित 01 अभियुक्त अनुज गौतम पुत्र फोटू निवासी सराय गोपाल थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष को थानाक्षेत्र महेशगंज के ऐंधा तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. अनुज गौतम पुत्र फोटू निवासी सराय गोपाल थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

म0उ0नि0 वन्दना वर्मा मय हमराह उ0नि0 विजेन्द्र यादव, उ0नि0 अंशू सिंह सेंगर थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़

प्रेस नोट दिनांक-17.09.2025 जनपद प्रतापगढ़।

गैंगस्टर एक्ट के तहत शातिर 01 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता की कुल ₹ 1,56,69,956 (एक करोड़ छप्पन लाख उनहत्तर हज़ार नौ सौ छप्पन) की अवैध संपत्ति की कुर्की का आदेश-

शातिर अभियुक्त राजेश मिश्रा पुत्र रामजी मिश्रा व अभियुक्ता रीना मिश्रा पत्नी राजेश मिश्रा के विरुद्ध धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 1986 अन्तर्गत अर्जित चल-अचल सम्पत्ति कुर्क करने का आदेश किया गया

धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 1986 के अन्तर्गत की गई कार्रवाई के तहत गैंग लीडर राजेश मिश्रा पुत्र रामजी मिश्रा व अभियुक्ता रीना मिश्रा पत्नी राजेश मिश्रा निवासीगण ग्राम मुन्दीपुर, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़ के विरुद्ध कठोर कदम उठाते हुए माननीय न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जनपद प्रतापगढ़ द्वारा भूमि, मकान, चार पहिया वाहनों कुर्क करने का आदेश जारी किया गया-

थाना मानिकपुर क्षेत्र के गैंग लीडर राजेश मिश्रा पुत्र रामजी मिश्रा, निवासी ग्राम मुन्दीपुर, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित अवैध स्रोतों की चल-अचल संपत्ति (भूमि) जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 25,80,000.00 रुपये/- (रु. पच्चीस लाख अस्सी हज़ार रुपये मात्र) है, उसे कुर्क किए जाने के संबंध में कुर्की आदेश जारी किया गया है।

थाना मानिकपुर क्षेत्र के अभियुक्ता रीना मिश्रा पत्नी राजेश मिश्रा द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित अवैध स्रोतों की चल-अचल संपत्ति (भूमि, मकान), जिसकी अनुमानित कीमत लगभग ₹1,30,89,956.00/- (रु.एक करोड़ तीस लाख नवासी हज़ार नौ सौ छप्पन मात्र) है, को कुर्क किए जाने हेतु आदेश जारी किया गया है।

गैंगलीडर अभियुक्त राजेश मिश्रा पुत्र रामजी मिश्रा के विरुद्ध जनपद प्रतापगढ़ के थाना मानिकपुर एवं थाना संग्रामगढ़ व थाना रीवा (मध्य प्रदेश) में एनडीपीएस एक्ट, गैंगस्टर एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में लगभग 14 अभियोग पंजीकृत हैं ।

गैंग सदस्य अभियुक्ता रीना मिश्रा पत्नी राजेश मिश्रा के विरुद्ध जनपद प्रतापगढ़ के थाना मानिकपुर में एनडीपीएस एक्ट एवं गैंगस्टर एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में 05 अभियोग पंजीकृत हैं।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में जनपद प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कठोर कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में—
थाना संग्रामगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0-67/2025, धारा-2/3 गैंगेस्टर एक्ट, थाना मानिकपुर से संबंधित अभियुक्त/गैंग लीडर राजेश मिश्रा पुत्र रामजी मिश्रा, निवासी ग्राम मुन्दीपुर, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित अवैध स्रोतों की चल-अचल सम्पत्ति (भूमि, वाहन) जिसकी अनुमानित कीमत लगभग ₹25,80,000/- (रु. पच्चीस लाख अस्सी हज़ार रुपये मात्र) है, को कुर्क किए जाने के संबंध में माननीय न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़ द्वारा आदेश जारी किया गया है।

थाना संग्रामगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0-67/2025, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्ता रीना मिश्रा पत्नी राजेश मिश्रा,निवासी ग्राम मुन्दीपुर, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़ की आपराधिक कृत्यों से अर्जित अवैध स्रोतों की चल-अचल सम्पत्ति (भूमि, मकान) जिसकी अनुमानित कीमत लगभग ₹1,30,89,956/- (रु. एक करोड़ तीस लाख नवासी हज़ार नौ सौ छप्पन मात्र) है, को कुर्क किए जाने हेतु माननीय न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़ द्वारा आदेश पारित किया गया है।

उक्त आदेश के अनुपालन में अभियुक्तगण की संपत्तियों की कुर्की की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित की जा रही है।

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-
गैंग लीडर राजेश मिश्रा पुत्र रामजी मिश्रा, निवासी ग्राम मुन्दीपुर, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़
1. मु.अ.सं.-208/09, धारा-8/20 एनडीपीएस ऐक्ट, थाना मानिकपुर
2. मु.अ.सं.-170/12, धारा-8/20 एनडीपीएस ऐक्ट, थाना मानिकपुर
3. मु.अ.सं.-161/18, धारा-8/20 एनडीपीएस ऐक्ट, थाना रीवा (मध्य प्रदेश)
4. मु.अ.सं. 132/19, धारा-8/20 एनडीपीएस ऐक्ट, थाना मानिकपुर
5. मु.अ.सं.-167/19, धारा-8/20 एनडीपीएस ऐक्ट, थाना मानिकपुर
6. मु.अ.सं.-298/20, धारा-323, 504, 506 भा.द.वि., थाना मानिकपुर
7. मु.अ.सं.-85/21, धारा-8/20 एनडीपीएस ऐक्ट, थाना मानिकपुर
8. मु.अ.सं.-229/22, धारा-8/20 एनडीपीएस ऐक्ट,थाना मानिकपुर

9. मु.अ.सं.264/22, धारा-8/20 एनडीपीएस ऐक्ट,थाना मानिकपुर
10. मु.अ.सं.-212/23, धारा-323, 354, 506 भा.द.वि.,थाना मानिकपुर
11. मु.अ.सं.-253/23, धारा-353, 332, 323 भा.द.वि., थाना मानिकपुर
12. मु.अ.सं.-30/24, धारा-8/20 एनडीपीएस ऐक्ट, थाना मानिकपुर
13. मु.अ.सं. 104/24, धारा-8/20/29 एनडीपीएस ऐक्ट,थाना मानिकपुर
14. मु.अ.सं.-67/25, धारा-2/3 गैंगेस्टर ऐक्ट, थाना संग्रामगढ़

अभियुक्ता रीना मिश्रा पत्नी राजेश मिश्रा,निवासी ग्राम मुन्दीपुर, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़
1. मु.अ.सं.-85/21, धारा-8/20 एनडीपीएस ऐक्ट, थाना मानिकपुर
2. मु.अ.सं.212/23, धारा-323, 506 भा.द.वि., थाना मानिकपुर
3. मु.अ.सं. 253/23, धारा-353, 332, 323 भा.द.वि., थाना मानिकपुर
4. मु.अ.सं. 30/24, धारा-8/20 एनडीपीएस ऐक्ट, थाना मानिकपुर
5. मु.अ.सं. 67/25, धारा-2/3 गैंगेस्टर ऐक्ट, थाना संग्रामगढ़

नोट- प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा पेशेवर एवं अभ्यस्त अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जा रही है। समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं आमजन में सुरक्षा की भावना को सुदृढ़ करने हेतु ऐसे तत्वों पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है। वर्तमान में जिनके विरुद्ध प्रमाणित रूप से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता पाई जा रही है, उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं, जिनमें संपत्ति कुर्की, गिरफ्तारी, निरोधात्मक कार्रवाई एवं अन्य दंडात्मक प्रावधान शामिल हैं।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, ताकि असामाजिक व आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को कानून का भय बना रहे और आम नागरिक शांति व सुरक्षा के वातावरण में जीवन व्यतीत कर सकें। कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

प्रशासन सभी नागरिकों से अपील करता है कि यदि उन्हें किसी भी आपराधिक गतिविधि की जानकारी हो, तो तुरंत पुलिस या संबंधित विभाग को सूचित करें। समाज की सुरक्षा में सभी की भागीदारी आवश्यक है।